


कार्यालय जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर

आदेश सं०- 110 / 2021
दिनांक: 07, 07, 2021

आदेश

माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक 1946/LXXXVII-CPC/ e-Courts/ Allahabad दिनांकित 26.04.2021 में दिये गये दिशा-निर्देशानुसार दिनांक 28.04.2021 से जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर के जिला मुख्यालय एवं बाह्य स्थित न्यायालयों में नवीन (Fresh) जमानत/ रिमांड आदि अर्जेंट प्रकृति का कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर एवं बाह्य स्थित न्यायालयों खुर्जा एवं अनूपशहर में विभिन्न तिथियों में पूर्व से लम्बित सभी मामले (केवल ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही है), की सुनवाई हेतु अगली सामान्य तिथि निम्नानुसार नियत की जाती है-


सभी मामलों में नियत तिथि	सभी मामलों में अग्रिम नियत तिथि
05.06.2021	01.07.2021
07.06.2021	02.07.2021
08.06.2021	03.07.2021
09.06.2021	05.07.2021
10.06.2021	06.07.2021
11.06.2021	07.07.2021


(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

7-6-2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्यालय एवं समस्त बाह्य न्यायालय, ग्राम न्यायालय, बुलन्दशहर।
2. समस्त बार एसोसिएशन, बुलन्दशहर, खुर्जा, अनूपशहर, स्थाना एवं डिबाई।
3. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर।
4. सिस्टम आफिसर, कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय बुलन्दशहर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।


(डा० अजय कृष्ण विश्वेश)
जनपद न्यायाधीश
बुलन्दशहर।

7-6-2021